



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की शुक्रवार, दिनांक 28/02/2014

को समय मध्याह्न 12.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	सेंट थॉमस महाविद्यालय, रूआबांधा, भिलाई, जिला-दुर्ग	बी.एस-सी. -III Industrial Chemistry	30	2013-14	01. प्रो. के.एस. पटेल, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 02. प्रो. रोहिणी प्रसाद, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	निरीक्षण तिथि - 21.01.2014 महाविद्यालय में आधारभूत संरचना पर्याप्त है। नियमित शिक्षक है। प्रयोगशाला भी पर्याप्त है। पुस्तकें भी छात्रों हेतु पर्याप्त है। तदनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
2	ए.व्ही.एस. प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल कालेज, माना, धमतरी रोड, रायपुर	1. B.Sc.-III (Biotechnology) 2. B.Com. -III 3. B.B.A. -III 4. B.C.A. -III	50 60 40 60	2013-14	1. प्रो. एस.के. जाधव, अध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी, अ.शा. पं. र.शु. वि.वि. रायपुर 2. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधन संस्थान, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 3. प्रो. आर.के. ब्रम्हे, अर्थशास्त्र अ.शा. पं. र.शु. वि.वि. रायपुर	निरीक्षण तिथि - 06.01.2014 शर्तें - 1. बी.एस.सी. I,II,III के लिये केवल एक प्रयोगशाला रसायन विज्ञान एक जैवप्रौद्योगिकी एवं एक वनस्पति शास्त्र की है, जिसमें अधिकतम 25 छात्र प्रयोग कर सकते हैं। 2. बी.एस-सी. I,II,III बी.बी.ए. एवं बीकाम. की सैद्धांतिक कक्षाओं के लिये पर्याप्त कक्ष है। 3. सभी कक्षाओं के लिये पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। छात्र संख्या एवं कक्षाओं के अनुसार पुस्तकों की आवश्यकता है। 4. शिक्षकों की नियुक्ति धारा-28 के तहत नहीं है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
3	शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय, धमतरी, जिला-धमतरी	B.A.-II- History B.Com. -II	60 50	2013-14	1. प्रो. आर. के. ब्रम्हे, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. के.के. अग्रवाल, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर)	निरीक्षण तिथि - 20.12.2013 महाविद्यालय को बी.ए. द्वितीय वर्ष में इतिहास विषय तथा बी.काम. द्वितीय वर्ष की कक्षाओं प्रारम्भ करने हेतु पात्रता प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने की आवश्यकता है। शर्तें - 1. महाविद्यालय की स्वयं का भवन निर्माण किया जाय। 2. इतिहास एवं कामर्स के संबंधित कक्षाओं की पुस्तकों 5-5 हजार की क्रय की जाय। 3. संबंधित विषयों में नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाय।
4	दिशा लॉ कालेज, बलौदाबाजार मार्ग, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर	1. बी.ए.एल.एल. बी. इंटीग्रेटेड कोर्स (पांच वर्षीय) 2. एल.एल.बी. (तीन वर्षीय)	120 120	2014-15	1. डॉ. सी.एल. पटेल, आचार्य, विधि अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. (श्रीमती) विनीता अग्रवाल, शास.जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर	निरीक्षण तिथि - 12.02.2014 शर्तें - 1. अधोसंरचना संतोषजनक है। पाठ्यक्रम संचालन हेतु पात्रता है। बार कौंसिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त करने। 2. पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर के परिनियमों एवं नियमों का पालन करने। 3. परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने। 4. वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से करने। के शर्तों की पूर्ति के शर्त पर सत्र 2014-15 से निम्नानुसार कक्षाएं/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार किया जा सकता है। 1. बी.ए.एल.एल.बी. इंटीग्रेटेड कोर्स (पांच वर्षीय)- सीट संख्या 120 2. एल.एल.बी. (तीन वर्षीय)- सीट संख्या 120
		कार्यालयीन टीप - The Bar Council of India in its meeting held on September 14, 2008 through resolution no. 110/2008, approved the Rules on Standards of Legal Education and Recognition of Degrees ('BCI Education Rules, 2008' के अनुसार Prior affiliation by the University है।				
5	पं. देवीप्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय, गंडई, जिला- राजनांदगांव	B.Sc. -II - FC, Maths, Chemistry, Physics	50	2013-14	01. प्रो. के. एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला, 02. प्रो. आर. एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला 03. प्रो. बी. एस. ठाकुर, गणित अध्ययनशाला	निरीक्षण तिथि - 24.01.2014 शर्तें - All infrastructures and facilities (i.e. faculties, labs, PC and books) required are available to run B.Sc.-II Courses (i.s. FC, Hindi, English, Maths, Physics & Chemistry) Kindly allow the college to run the above B.Sc.-II courses.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
6	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, जिला-रायपुर	बी.एस.सी - प्रथम वर्ष (बायो ग्रुप) सीट वृद्धि-40 (पूर्व सीट सं. - 80)	80 (40+40)	2012-13	1. डॉ. के.एस. पटेल, आचार्य, रसायनशास्त्र अध्ययनशाला पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. ए.के. गुप्ता, आचार्य एवं अध्यक्ष, जैविकी अध्ययनशाला पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	निरीक्षण तिथि - 08.02.2014 शर्तें - महाविद्यालय का निरीक्षण 08.02.2014 को किया गया। महाविद्यालय के पास स्वयं का भवन, 16.84 एकड़ जगह एवं अधोसंरचना पर्याप्त है। क्लास रूम एवं प्रयोगशाला की संख्या पर्याप्त है। फर्नीचर एवं उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। महाविद्यालय के ग्रंथागार में विज्ञान संकाय की 1500 पुस्तकें हैं। यू.जी.सी. मद से अतिरिक्त पुस्तकें क्रय किया जाना प्रस्तावित है। महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान के 1-1 नियमित सहायक प्राध्यापक हैं। रसायन शास्त्र में जनभागीदारी से 1 सहायक प्राध्यापक संविदा में नियुक्त है। प्राचार्य भी रसायन शास्त्र विषय के हैं।
7	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महास मुंद	B.Com. -II B.A. -II B.Sc. -II	60 60 60	2013-14	01. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, आचार्य एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र अ.शा. 02. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधन संस्थान, 03. डॉ. अरविंद गिरोलकर, प्राचार्य, शास.दू. ब. महिला महा., रायपुर	
निरीक्षण तिथि - 23.02.2014 शर्तें - विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 12765/अका./2013 रायपुर दिनांक 4.12.2013 के अनुसार शास. महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महासमुंद में B.A. II (60) सीट, आ.पा., भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, B.Com. II (60) सीट आ.पा., व्यवसाय प्रबंध व लेखांकन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, B.Sc. II (60) आ.पा., रसायनशास्त्र, वनस्पति व जन्तु विज्ञान विज्ञान के लिए आज दिनांक 23.02.2014 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये। 1. शासकीय महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है महाविद्यालय पूर्व माध्यमिक शाला के अतिरिक्त भवन में लगता है। लेकिन शासन के द्वारा 15 एकड़ जमीन दी गई है। दस्तावेज संलग्न है। 2. अध्यापक के लिए 4 कमरे एवं 2 हाल हैं जो वर्तमान में पर्याप्त है। 3. महाविद्यालय में अभी प्रभारी प्राचार्य है। महाविद्यालय में शिक्षकों की संख्या 09 है, जिसमें 02 नियमित तथा 07 अतिथि व्याख्याता है। 4. खेल मैदान अभी नहीं है। 5. बी.एस.सी. के लिए प्रयोगशाला है, जिसे विकसित किये जाने की आवश्यकता है। 6. ग्रंथागार है। पुस्तकों की संख्या 1893 है। अतः छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 7. अध्यापन कार्य हेतु नियमित शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने और आवश्यकता है।						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
8	श्री साई कालेज, प्लॉट नं. -286 / 1, 286 / 2, 291, देउरझाल, नंदनी, जिला-दुर्ग	B.Ed	100	2014-15	1. प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान एवं आचार्य मनोविज्ञान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	

निरीक्षण तिथि - 21.02.2014

शर्तें -

We inspected Shri Sai College, Plot No. 286/1, 286/2, 291, Deorghal, Nandaini, Durg on 21-02-2014 at 10.30 AM College has applied for running B.Ed. Course with 100 Seats. Our observation are as follows :

1. The College has its own land of 2.06 Hct. 19117.2 Sq.ft.
 2. The Built up area of the building of the said college is 241190.83 Sq.ft.
 3. The building is satisfactory for running B.Ed. Course with 100 student.
 4. One Science Lab, one psychology lab, one E.T. Lab, one craft room, one computer room with 25 systems with internet connection are available. There are separate common rooms for boys and girls.
 5. There are arrangement of Indoor and outdoor games in the college beside one activity room.
 6. Safe drinking water facility is available. Separate toilets for boys, girls and staff, are also available.
 7. One Principal and 9 teachers were physically present. We talked then separately. They have shown their willingness to render their services to the institute, if recognized. Their affidavits are enclosed in the file. Six non-teaching staffs are also available. The appointment of a temporary principal has already been made.
 8. The library of the college has 3006 books and 5 Journals 2 periodicals besides.
 9. There is a separate music room in the college.
- On the strength of the above observations the institution is eligible for affiliation.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
9	रवि शंकर ग्लोबल एजुकेशन कालेज, प्लॉट नं. -131/9-10-1, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना, तह.-धरसीवां, जिला-रायपुर (छ.ग.)	B.Ed	100	2014-15	1. प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान एवं आचार्य मनोविज्ञान पं. र.श.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. प्रतिमा अवस्थी, अपर संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, एकीकृत भवन, पेंशन बाड़ा, रायपुर	

निरीक्षण तिथि - 03.02.2014

शर्तें -

We inspected Ravishankar Global Education College, Dhaneli, Raipur on 03-02-2014 at 10:30 AM The College has applied for running B.Ed. Course with 100 seats. Our observation are as follows :

1. The College has its own land of 1.00 hectare.
2. The built up area of the building of the said college is 24190.83 Sq.feet.
3. There are one big hall and all total 31 rooms in the college premises.
4. One Science Lab, one psychology lab, one E.T. Lab, one craft room, one computer room with 25 systems with internet connection are available. There are separate common rooms for boys and girls.
5. There are arrangement of Indoor and outdoor games in the college beside one activity room.
6. Safe drinking water facility is available. Separate toilets for boys. girls and staff, are also available.
7. One Principal and 9 teachers were physically present. We talked then separately. They have shown their willingness to render their services to the institute, if recognized. Their affidavits are enclosed in the file. Six non-teaching staffs are also available. The appointment of a temporary principal has already been made.
8. The library of the college has 3117 books and 11 Journals 2 periodicals and 5 news papers.
9. There is a separate music room in the college.

On the strength of the above observations the institution is eligible for affiliation.

03. पूर्व संचालित मनसा कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.- 1451/1, कोहका रोड, पोस्ट-जामुल, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सत्र 2014-15 से बी.एड. अतिरिक्त 100 सीट की अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक No. WRC /APP1461/191st /B.Ed.(Addl.)/2013/109598 dated 30.10.13 के द्वारा अतिरिक्त 100 सीट वृद्धि की मान्यता प्राप्त हो गया है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 11728/अका./2013 दिनांक 26.08.2013 के द्वारा स्टाफ प्रोफाइल सत्यापित किया गया है।

04. शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 में निर्णय - 'एल.एल.बी. एवं बी.ए.एल.एल.बी. के बारे में शासन का स्पष्ट आदेश नहीं है। बार कौंसिल से अनुमति प्राप्त होने पर सम्बद्धता की कार्यवाही किया जावे। शासन द्वारा पाठ्यक्रम के निर्धारण पश्चात् महाविद्यालय को बार कौंसिल के लिए एन.ओ.सी. जारी की जावे।' के अनुसार बार कौंसिल ऑफ इंडिया के लिए NOC दिया गया है।

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा को बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अपने अनुमोदन के पूर्व पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से बी.ए.एल.एल.बी. पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की सम्बद्धता दिनांक 31.01.2014 तक प्रस्तुत करने हेतु महाविद्यालय को मौखिक निर्देश दिया है जिसके संदर्भ में बार कौंसिल ऑफ इंडिया के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

The Bar Council of India in its meeting held on September 14, 2008 through resolution no. 110/2008, approved the Rules on Standards of Legal Education and Recognition of Degrees ('BCI Education Rules, 2008' के अनुसार **Prior affiliation by the University** है।

05. जय हिन्द महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद, जिला-महासमुंद के स्थान परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना।

टीप : जय हिन्द महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद, जिला-महासमुंद के प्राचार्य का पत्र क्रं. JHC/665/2013-14 दिनांक 13.01.2014 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश पृ. क्रमांक 6311/2877/2013/38-2 दिनांक 11.12.2014 के द्वारा जय हिन्द महाविद्यालय को स्वयं के भवन, नवीन परिसर में अध्ययन-अध्यापन हेतु स्थानांतरण करने सशर्त आदेश दिया गया है, (आदेश की प्रति संलग्न हैं)।

जय हिन्द महाविद्यालय का नवीन पता - "जय हिन्द महाविद्यालय, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)" किये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

06. श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, मिलाली नगर, जिला-दुर्ग के स्थान परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना।

टीप : श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, मिलाली नगर, जिला-दुर्ग के प्राचार्य का पत्र क्रं. 581/SSM/2014 दिनांक 13.01.2014 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश पृ. क्रमांक 6391/2875/2013/38-2 दिनांक 19.12.2013 के द्वारा श्री शंकराचार्य महाविद्यालय को स्वयं के भवन, नवीन परिसर जो कि ग्राम जुनवानी, मिलाली, जिला-दुर्ग में स्थित है, स्थानांतरण करने सशर्त आदेश दिया गया है, (आदेश की प्रति संलग्न हैं)।

श्री शंकराचार्य महाविद्यालय का नवीन पता - "श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, ग्राम जुनवानी, मिलाली, जिला-दुर्ग (छ.ग.)" किये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

07. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम "सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर" स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।
टीप : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर के नाम परिवर्तन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग का आदेश पत्र पृ. क्र. एफ 73/119/उ.शि./2002 दिनांक 21.10.02 के द्वारा "सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर" प्रदान किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
08. विनियम-90 Endowment Fund (डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक) के संशोधन के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : विनियम-90 Endowment Fund (डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक) के संशोधन किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 24.01.2014 को संशोधित रेगुलेशन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।
09. एम.ए. छत्तीसगढ़ी में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं विनियम क्रमांक 153 के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप: डॉ. व्यास नारायण दुबे, बी-2/5, मानस कुंज, लोकमान्य गृह निर्माण समिति, रोहिणीपुरम, रायपुर- 492010 ने अपने पिता स्व. मनराखन लाल दुबे की स्मृति में सत्र 2013-14 एम.ए. छत्तीसगढ़ी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पुरुष छात्र को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु B.No./R.No. Gbk-254 Dated- 22-Jan.-2014 के द्वारा रूपये 50,000/- आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 153 का अनुमोदन एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।
10. एम.ए. छत्तीसगढ़ी में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं विनियम क्रमांक 154 के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप: श्री रवि दुबे, कल्पतरु, प्रोफेसर कालोनी, कुबेर विहार, सेक्टर-3, गली नं.-13, रायपुर- 492010 ने अपने माता स्व. (श्रीमती) शकुन्तला देवी दुबे की स्मृति में सत्र 2013-14 एम.ए. छत्तीसगढ़ी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले महिला छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु B.No./R.No. Gbk-301 Dated- 03-Feb.-2014 के द्वारा रूपये 50,000/- आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम 154 का अनुमोदन एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।
11. अध्ययन मंडलों द्वारा सत्र 2014-15 के लिए पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतू की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए गठित अध्ययन मंडलों ने वर्ष 2014-15 के लिए पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतु अपनी अनुशंसा प्रदान कर दी है। अध्ययन मंडलों के अनुशंसा को उनके संबंधित संकायों द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है जो निम्नानुसार है :-
1. सूची "A" के अनुसार उल्लेखित पाठ्यक्रमों को वर्ष 2013-14 के अनुरूप रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
 2. सूची "B" के अनुसार उल्लेखित पाठ्यक्रमों के अध्यादेश में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है।
 3. शेष बचे पाठ्यक्रमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है जो वर्ष 2014-15 में प्रभावी होंगे।

12. विज्ञान संकाय एवं सामाजिक विज्ञान संकाय की संयुक्त बैठक दिनांक 10.02.2014 के अनुशंसा का अनुमोदन करना।

टीप : (1) एम.ए. मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में जो छात्र विज्ञान संकाय के विषयों को उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित प्रवेश प्राप्त करेगा, उसे एम.एस.सी. मनोविज्ञान की उपाधि प्रदान करने, अध्ययन मण्डल की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया। (प्रस्ताव परिनियम 10 एवं अध्यादेश 170 में समावेश के संबंध में कार्यपरिषद् एवं समन्वय समिति के समक्ष रखा जाना है।)

(2) गणित अध्ययन मण्डल की अनुशंसा के आधार पर एम.एस.सी. गणित के लिये बी.ई. के स्नातक छात्रों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश देने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

13. सामाजिक विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

टीप : (1) अधिनस्थ अध्ययन मण्डलों में पाठ्यक्रम 2014-15 के लिए अनुशंसित पाठ्यक्रम का सर्वसम्मत से अनुमोदन किया गया।

(2) इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के अध्ययन मण्डलों की बैठक पुनः आहुत करके उनके वैकल्पिक प्रश्नपत्रों को कम करने के अध्यक्षों के निवेदन को स्वीकार किया।


14. सत्र 2012-13 एवं 2013-14 की वार्षिक संबद्धता हेतु महाविद्यालय की सूची :-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
2012-13	
01	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, जिला-रायपुर
02	शासकीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव
03	शासकीय स्व. विरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सराईपाली, जिला-महासमुंद
2013-14	
01.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद महाविद्यालय, धनोरा रोड, रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग
02.	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा
03.	शासकीय महाविद्यालय, मोहला, जिला-राजनांदगांव

15. विश्वविद्यालय अध्ययन शालाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में क्रेडिट बेस सिस्टम लागू किये जाने के संबंध में रेगुलेशन 149 में आवश्यक संशोधन किये जाने पर विचार करना।

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

16. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 13087 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2014

रायपुर, दिनांक: 09 / 01 / 2014

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 07.01.2014 मध्याह्न 2.30 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे —

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
3.	प्रो. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
4.	प्रो. स्वर्णलता सर्राफ	—	सदस्य
5.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
6.	प्रो. भगवंत सिंह	—	सदस्य
7.	प्रो. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
8.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की ओर से नवनियुक्त संकायाध्यक्षों, एवं सदस्य प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, प्रो. भगवंत सिंह, प्रो. सी.डी. अगासे तथा प्रो. ए.के. श्रीवास्तव का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.12.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है —

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी	B.Com. -II - Compulsory Subjects, Env.Sc.	60	2013-14	निरीक्षण तिथि-31.12.2013 शर्तें - 1. महाविद्यालय के पास अपना भवन नहीं है। महाविद्यालय प्राथमिक शाला के भवन में संचालित हो रहा है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। इस संबंध में संचालनालय उच्च शिक्षा को भी जानकारी दी जाए।
		B.A. -II - Hindi, English, Env.Sc., Geography, History, Sociology	60			
		B.Sc. -II - Hindi, English, Env.Sc., Chemistry, Botany, Zoology	60			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					4. ग्रंथालय में पुस्तकों को रखने की व्यवस्था नहीं है। 5. प्रयोगशाला की सुविधा नहीं है, उ.मा. शाला के प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य किया जा रहा है। 6. शासन के द्वारा भूमि आबंटन किया गया है। 7. गत वर्ष का बजट आबंटन संलग्न है।	

03. स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित विनियम 129 में (6.1) विहित शुल्क के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित विनियम 129 में (6.1) विहित शुल्क एवं निरीक्षण समिति के गठन के संबंध में समिति की निम्नानुसार की गई अनुशंसा, का अनुमोदन किया गया—

(1) [A] स्नातक स्तर पर प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु आधार पाठ्यक्रम के साथ प्रथम तीन मुख्य विषय के लिए रु. 15,000/- एवं प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु. 10,000/-

[B] स्नातकोत्तर स्तर हेतु प्रत्येक विषय के लिए रु. 15,000/-

(2) तीन सदस्यी निरीक्षण समिति का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है -

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| (1) संकायाध्यक्ष | - | समन्वयक |
| (2) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल | - | सदस्य |
| (3) विषय विशेषज्ञ | - | सदस्य |

04. एम.एस.सी. बायोसाइंस में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं विनियम क्रमांक 152 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : एम.एस.सी. बायोसाइंस में डॉ. एस.एम. अगरवाल के नाम से प्रस्तावित स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं इस हेतु प्रस्तावित विनियम क्रमांक 152 का अनुमोदन किया गया।

05. सत्र 2013-14 की वार्षिक संबद्धता हेतु महाविद्यालय की सूची :-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
01	नानकचंद रमेशचंद अगरवाल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर
02	दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, चन्द्रखुरी, विधानसभा रोड, रायपुर


निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2013-14 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता आदेश प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।


अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्र. 1055/49/आउशि/समन्वय/2013 दिनांक 03.12.2012 पर विचार करना।

निर्णय : स्नातक पाठ्यक्रमों में एन.सी.सी. को अध्यापन हेतु आवश्यक शिक्षकों की व्यवस्था होने पर वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजी जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव


पृ. क्र. 13088/अका./वि.प.स्थायी समिति/2014

रायपुर, दिनांक: 09/01/2014

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



I

Section 7(1)(h) enumerates the function of the Bar Council of India as 'to promote legal education and to lay down standards of such education in consultation with the Universities in India imparting such education and the State Bar Councils'

The Bar Council of India in its meeting held on September 14, 2008 through resolution no. 110/2008, approved the Rules on Standards of Legal Education and Recognition of Degrees ('BCI Education Rules, 2008')

Salient features of the applicable rules are the following:

Condition precedent

- * Prior affiliation by the University

Library & ICT facilities

- * Adequate library facilities: AIR manual, Central Acts, Local Acts, Criminal Law Journal, AIR, SCC, Company Cases
- * Subscription to online database
- * At least 10 Internet access points with desktop facilities
- * Reading room
- * Qualified library staff
- * Drinking water and rest room facilities shall be available in library premises
- * Library shall have adequate reading space for at least 25% of enrolled students

University Autonomy & Courses

- * Universities are free to design their academic programs
- * However, courses stipulated under BCI Education Rules, 2008 are mandatory

Classroom

- * The maximum intake in each section the class is 60 students
- * For an intake of 60 students in each section, a classroom size of (30 X 50 = 1500) sft is necessary
- * Special classrooms and tutorial classroom shall have space of at least 20 sft per student

Faculty Qualification

H

Full-time members of the faculty shall possess at least Master of Laws (LLM) degree or as prescribed by the UGC

Members of the faculty teaching clinical program may be drawn from retired judicial officers or from the Bar

Visiting faculty from the profession, judiciary or academia shall have a minimum experience of 10 years

There shall be sufficient number of full-time members of the faculty who shall be, if necessary, supported by part-time and visiting faculty

Members of the faculty shall be paid according to UCC pay scales

Faculty workstation shall be at least 100 sq ft per workstation

Infrastructure

Clear title to land and buildings

Land shall be adequate to house academic buildings, library, indoor and outdoor sports facilities and, if applicable, halls of residence for male and female students separately

Academic building shall provide separate classrooms for each section sufficient to accommodate sixty students and other rooms for the purposes of tutorial work, moot court, students' common room and library

Separate restrooms for male/female - 10 units per 100 students

Minimum capital fund of Rupees 10 lakhs

Dedicated academic building

Adequate facilities for indoor and outdoor games

Legal Aid

Each institution shall establish and run a legal aid clinic under the supervision of a senior faculty member

Laboratory

Institutions running integrated law programs shall have adequate library facilities for science, engineering and technology courses if courses are offered in the stream

Head of the Institution

Principal/Head/Dean shall have minimum qualifications as prescribed by the UGC

[The aforementioned salient features are for the purposes of information only and shall not be relied upon as legal advice. Please refer to BCI Education Rules, 2008 for detailed information]

मनसा शिक्षा महाविद्यालय

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध
नेक द्वारा बी (2.29) श्रेणी प्रदत्त



Mansa College of Education
Affiliated to Pt. R.S.S.U. Raipur
NAAC Accredited with B (2.29) grade

क्रमांक. 1503.....

दिनांक 12-11-13

प्रति,

कुल सचिव महोदय
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर, छ.ग.

Sanjay
M
14/11

विषय :- बी.एड. (100 अतिरिक्त सीट) सम्बंधीकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- NCTE भोपाल की मान्यता आदेश क्रमांक WRC/APP1461/191st/B.Ed.(Addl)/2013/109598
दिनांक 30.10.2013 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,


निवेदन है कि इस महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में अतिरिक्त 100 सीट के लिए WRC, NCTE भोपाल द्वारा Recognition order सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी किया गया है, उसकी छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त आदेश सत्र 2014-15 में लागू होगा, इसके लिए, आपके द्वारा सम्बद्धता आदेश जारी करने के लिये विनम्र निवेदन है।

बी.एड. की अतिरिक्त 100 सीट के लिये विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता हेतु निरीक्षण कर लिया गया है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें एवं सम्बन्धीकरण - आदेश भी जारी करें।

धन्यवाद

भवदीय



P. S. S. U.
प्राचार्य/मंचा

मनसा शिक्षा महाविद्यालय
कोहका रोड, कुरुद, भिलाई

To Be Published in Gazette of India Part III Section 4

F. No. WRC/APP1461/191st/B.Ed. (Addl.)/2013/109598

Date: 30.10.13

Recognition Order

Whereas, in terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993, Mansa College of Education, Plot no. 1451/1, Street no. Kohaka Road, Post – Jamul, City – Bhilai, Durg, Chhattisgarh – 490024, (Code No. WRCAPP1461) had submitted an application on 09.09.2011 to the Western Regional Committee of the NCTE for grant of recognition/permission of additional intake in existing B.ED. course with an annual intake of additional 100 students.

2. And whereas, on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for B.Ed., as determined by clause 7(9) of NCTE Regulations, 2009, and decided to issue letter of intent dt. 07.06.2013.

3. And whereas, reply dt. 03.09.2013 submitted by the institution was considered by WRC in its 191st meeting held on October 21 - 23, 2013 and committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for B.Ed. course, as determined by the NCTE Regulations 2009.

4. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14 (3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Western Regional Committee hereby grants recognition to Mansa College of Education, Plot no. 1451/1, Street no. Kohaka Road, Post – Jamul, City – Bhilai, Durg, Chhattisgarh – 490024, (Code No. WRCAPP1461), for starting B.Ed. course of Secondary level of 1 year duration with an annual intake of additional 100 (Hundred) seats from the academic Session 2014-15, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 13.12.2012 in W.P. (Civil) 276/2012.

5. Further, the institution is required to comply with all post-recognition conditions enumerated from clause 8(11) to clause 8(16) of the NCTE (Recognition, Norms & Procedure) Regulations 2009.

6. The society sponsoring the institution shall transfer and vest the title of the land and building in the name of the institution within a period of six months from the date of this order and submit the documents to the Western Regional Committee. However, in case the society fails to do so due to local laws or rules or bye-laws, it shall intimate in writing with documentary evidence of its inability to do so.

7. The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009 for the academic session 2014 - 2015.

Continue.....

8. The recognition will operate for 2014-2015 only if the requirement of 200 teaching days in the session is fulfilled as per calendar of the University/Affiliating Body.

9. The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.

10. The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up-to-date information on its Official website.

11. If, at any time, either on sue-motto inspection or on any representation received from any person, the WRC, NCTE is satisfied that the institution has contravened any of the provisions of the NCTE Act, or the Rules, Regulations, Orders made or issued there under or any condition subject to which the recognition was granted, the recognition may be withdrawn under the provisions of section 17 (1) of the NCTE Act.


(Sunil Srivastava)
Regional Director


Encl: As above

The Manager to Govt. of India Press
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110054

Copy to:

1. The Principal, Mansa College of Education, Plot no. 1451/1, Street no. Kohaka Road, Post - Jamul, City - Bhilai, Durg - 490024, Chhattisgarh.
2. The Secretary, Vasuki Memorial Sanchalan Samiti, Plot no. 1451/1, Street no. Kohaka Road, Post - Jamul, City - Bhilai, Durg - 490024, Chhattisgarh.
3. The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur, Chhattisgarh - 492001.
4. The Registrar, Pt. Ravi Shankar Shukla University, Amanaka G.E. Road Raipur - 492010, Chhattisgarh.
5. The Director, Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006.
6. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001.
7. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
8. Office Order file/Institution file WRCAPP1461 (Addl).

Regional Director



The Bar Council of India, in its meeting held on September 14, 2008 through resolution no. 110/2008, approved the Rules on Standards of Legal Education and Recognition of Degrees ('BCI Education Rules, 2008')

The following are a few salient features of the applicable rules:

Condition precedent

- Prior affiliation by the University

Library & ICT facilities

- Adequate library facilities: AIR manual, Central Acts, Local Acts, Criminal Law Journal, AIR, SCC, Company Cases
- Subscription to online database
- At least 10 Internet access points with desktop facilities
- Reading room
- Qualified library staff
- Drinking water and rest room facilities shall be available in library premises
- Library shall have adequate reading space for at least 25% of enrolled students

University Autonomy & Courses

- Universities are free to design their academic programs
- However, courses stipulated under BCI Education Rules, 2008 are mandatory

Classroom

- The maximum intake in each section the class is 60 students
- For an intake of 60 students in each section, a classroom size of (30 X 50 = 1500) sft is necessary
- Special classrooms and tutorial classroom shall have space of at least 20 sft per student

Faculty Qualification

- Full-time members of the faculty shall possess at least Master of Laws (LLM) degree or as prescribed by the UGC
- Members of the faculty teaching clinical program may be drawn from retired judicial officers or from the Bar
- Visiting faculty from the profession, judiciary or academia shall have a minimum experience of 10 years
- There shall be sufficient number of full-time members of the faculty who shall be, if necessary, supported by part-time and visiting faculty
- Members of the faculty shall be paid according to UCC pay scales
- Faculty workstation shall be at least 100 sft per workstation

Infrastructure

- Clear title to land and buildings
- Land shall be adequate to house academic buildings, library, indoor and outdoor sports facilities and, if applicable, halls of residence for male and female students separately
- Academic building shall provide separate classrooms for each section sufficient to accommodate sixty students and other rooms for the purposes of tutorial work, moot court, students' common room and library
- Separate restrooms for male/female – 10 units per 100 students
- Minimum capital fund of Rupees 10 lakhs
- Dedicated academic building
- Adequate facilities for indoor and outdoor games

Legal Aid

- Each institution shall establish and run a legal aid clinic under the supervision of a senior faculty member

Laboratory

- Institutions running integrated law programs shall have adequate library facilities for science, engineering and technology courses if courses are offered in the stream

Head of the Institution.

- Principal/Head/Dean shall have minimum qualifications as prescribed by the UGC

The information provided above is not exhaustive. Please refer to the BCI Education Rules, 2008 for detailed information.

For more information about legal education in India, including standards and details of affiliation and recognition, please write to dlebc@gmail.com

[Click here](#) to see the Advocates Act, 1961

[Click here](#) to see Parts I, II and III of the Bar Council of India Rules

[Click here](#) to see Part IV of the Bar Council of India Rules (Rules on Legal Education)

[Click here](#) to see Parts V, VI, VII, VIII and IX of the Bar Council of India Rules

111

Jai Hind College, Mahasamund (C.G.)

(Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur, C.G.)
Bhalesar Road, Near Gas Godown Ward no: 20, Mahasamund, Pin: 493445
Phone: 07723204055, 9424205255, email id: jaihindcollege@in.com

Ref. No. JHC/ 665/2013-14

दिनांक : 03/01/2014

प्रति,

श्रीमान कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि.
रायपुर (छ.ग.)

For J.S.V.
Shri. Rakesh
M
7.1.14

विषय:— स्थल परिवर्तन की अनुमति बाबत ।

संदर्भ:— 1. उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. का आदेश क्रमांक 6311/2877/2013/38-2 रायपुर
दिनांक 01.12.2013 ।

2. जय शिक्षण समिति का पत्र क्रमांक JSS/12/05/15 दिनांक 26.05.2012 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि जय हिन्द कालेज भवन के लिये जमीन क्रय की गई है तथा उस पर सर्व सुविधायुक्त भवन का निर्माण किया गया है । जो कि उक्त जमीन एवं भवन भलेसर रोड़ वार्ड क्रमांक 20, गैस गोदाम के पास महासमुन्द में स्थित है । महाविद्यालय में दो बड़ा हाल, एक बड़ी लाइब्रेरी एक बड़ा कम्प्यूटर लैब, अध्यापन के लिये 16 कमरे, बिजली एवं पानी की व्यवस्था इन्टरनेट की सुविधा, छात्रों के लिये 04 टायलेट एवं बाथरूम, छात्राओं के लिये 05 टायलेट एवं बाथरूम, तथा भवन के साथ खेल का बड़ा मैदान है । भवन निर्माण नगर पालिका द्वारा प्रमाणित है ।

उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा जय हिन्द कालेज के नवीन स्थान पर स्थानांतरण के लिये अनुमति प्राप्त हो गया है । जिसकी प्रति साथ में संलग्न है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि छात्रहित को ध्यान में रखते हुये अतिशीघ्र नवीन स्थल पर स्थानांतरण की अनुमति प्रदान करने की महती कृपा करें ।

सधन्यवाद !

महाविद्यालय के नये स्थल का पता:— जय हिन्द कालेज वार्ड नं. 20, भलेसर रोड़ गैस गोदाम के पास
महासमुन्द (छ.ग.)

स्थान : महासमुन्द

दिनांक : 03/01/2014

(Signature)
PRINCIPAL
JAI HIND COLLEGE
MAHASAMUND (C.G.)
03/01/2014

संलग्न :- छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन, नया रायपुर के स्थान परिवर्तन की आदेश प्रति ।

(1856)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

४
Rm 25/12/2013

रायपुर, दिनांक /12/2013

क्रमांक /2877/2013/38-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा जय हिन्द महाविद्यालय, महासमुंद को, उनके आवेदन दिनांक 03.10.2012, भौतिक सत्यापन हेतु गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 07.04.2012 तथा कलेक्टर महासमुंद का पत्र क्रमांक क/516/एस.सी. 01/2013 महासमुंद, दिनांक 10.10.2013 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संस्था के स्वयं के भवन जय हिन्द महाविद्यालय, महासमुंद पर शैक्षणिक सत्र 2013-14 से, छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 की धारा 18(1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन, स्थल परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. संस्था द्वारा, पूर्व स्थल से नवीन स्थल पर स्थानांतरण के पश्चात्, पूर्व स्थल पर स्थित महाविद्यालय में उपलब्ध समस्त समान सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उपरोक्त अनुमति शासन द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
3. संस्था द्वारा किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय परिसर, अन्य किसी शैक्षणिक एजेन्सी को हस्तांतरित नहीं की जावेगी एवं छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों का पालन करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अरूण कुमार चांदे)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक // /12/2013

पृ. क्रमांक (31) /2877/2013/38-2
प्रतिलिपि :-

01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
04. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
05. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)।
07. कलेक्टर, जिला-महासमुंद (छ0ग0)।
08. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
09. प्राचार्य, जय हिन्द महाविद्यालय, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ0ग0)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



SHRI SHANKARACHARYA MAHAVIDYALAYA

SECTOR-6, BHILAINAGAR (C.G.)

(NAAC Accredited with B+ Grade)

(RECOGNISED BY GOVT. OF C.G. AFFILIATED TO Pt. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR)

No S81/SSM/2014

DATE: 13/01/2014

प्रति,

उपकुलसचिव (अका.)
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि.
रायपुर (छ.ग.)

8/1/14

Mr

15.1.14

Dr. Standie Committee

विषय – महाविद्यालय स्थल परिवर्तन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ – उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन का पत्र क्र. 6391/2875/2013/38-2 दिनांक 19/12/2013।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित निवेदन है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय के स्थल परिवर्तन हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है। (आदेश की छायाप्रति

संलग्न)

अतः आपसे निवेदन है कि महाविद्यालय स्थल परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद

प्राचार्य
PRINCIPAL

Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Sector-VI, Bhilai (C.G.)

OFFICE ADDRESS : LAXMINARAYAN TEMPLE COMPLEX, SECTOR-6, BHILAI 490006 (C.G.)
Telephone : Office 0788- 289-8846, 2284822, 2220467, Fax : 0788 - 2225838
Website : www.ssmv.ac.in E-mail : ssmbhilai@yahoo.co.in

(13/1/14)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

श्री
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Sector-6, Bilai (C.G.)
Receiver Date: 23/12/13
At Serial No: 275
By: [Signature]

रायपुर, दिनांक /12/2013

क्रमांक /2775/2013/38-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई का, भौतिक सत्यापन हेतु गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 16.06.2013 तथा कलेक्टर दुर्ग का पत्र क्रमांक 14543/वरि.लि.पि./2013, दिनांक 27.11.2013 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संस्था के स्वयं के भवन नवीन परिसर ग्राम-जुनवानी, भिलाई, जिला-दुर्ग पर शैक्षणिक सत्र 2014-15 से, छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 की धारा 18(1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन, स्थल परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. संस्था द्वारा, पूर्व स्थल से नवीन स्थल पर स्थानांतरण के पश्चात्, पूर्व स्थल पर स्थित महाविद्यालय में उपलब्ध समस्त समान सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उपरोक्त अनुमति शासन द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
3. संस्था द्वारा किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय परिसर, अन्य किसी शैक्षणिक एजेन्सी को हस्तांतरित नहीं की जावेगी एवं छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों का पालन करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

[Signature]
(अरुण कुमार चांदे)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 19/12/2013

पृ. क्रमांक 6391/2875/2013/38-2
प्रतिलिपि :-

01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
04. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
05. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)।
07. कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ0ग0)।
08. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
09. प्राचार्य, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ0ग0)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. आदेश फोल्डर।

[Signature]
(19/12/13)

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

५॥

कार्यालय प्राचार्य, सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
कोहका-नेवरा (रायपुर) छत्तीसगढ़

क्रमांक: 585/2014

कोहका, दिनांक 27.01.2014

प्रति,

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

रायपुर

Shri Palshur

11.2.14

विषय : महाविद्यालय के नाम के उपयोग में त्रुटि सम्बन्धी ।

संदर्भ : आपके पत्र क्रमांक

(क) 8951/अ.का./2012 दिनांक 24.11.2012;

(ख) 12686/अ.का./सम्ब/वृद्धि/2013 दिनांक 28.11.2013; एवं,

(ग) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर का पत्र क्रमांक F-73/119/उशि/2602 दिनांक 21.10.2002

कृपया अपने संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। दोनों पत्रों में इस महाविद्यालय का नाम अलग अलग लिखा गया है। इस कारण NAAC द्वारा अपने महाविद्यालय के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के लिये भेजा गया हमारा LoI रद्द कर दिया गया है। आपके द्वारा केन्द्र आवंटन, सम्बद्धता, एवं परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र/अंक सूची में अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता है और इनमें एकरूपता नहीं रही है।

कृपया विश्वविद्यालय के सभी विभागों को यह निर्देश दें कि वे इस महाविद्यालय का नाम अपने सभी अभिलेखों में एक समान उल्लेखित करें।

आपके ध्यान में यह तथ्य लाना भी प्रासंगिक होगा कि शासन ने आयुक्त के संदर्भित पत्रांक (ग) द्वारा इस महाविद्यालय का नाम संशोधित किया है और 2002 से इसका नाम आधिकारिक रूप से सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा हो गया है। अतः भविष्य में इस महाविद्यालय के लिये केवल इसी नाम का प्रयोग करने का कष्ट करें।

संलग्न:

तीनों संदर्भित पत्रों की छायाप्रति

प्रतिलिपि:

पृ. क्रमांक: 586/2014

आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को सूचनार्थ।

(डॉ. एस.के. चटर्जी)

PRINCIPAL,

Govt. Arts. & Comm. College

Kohka-Neora, Raipur (C.G.)

कोहका, दिनांक 27.01.2014

(डॉ. एस.के. चटर्जी)

273 शा. प्रशा.
31.01.2014

(205A)

सर्वोच्च शिक्षण आयोग
उच्च शिक्षा, तत्संबंधी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षण,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
अंतर्गत

// आदेश //

रायपुर, दिनांक-

योग नांक 23/10/02

क्रमांक एक 73/119/30110/2002: राज्य शासन द्वारा शासकीय स्थापित एवं
व्यावसायिक महाविद्यालय, कोडडा मेवरा, जिला-रायपुर का कार्य संचालन की शर्त-
काराण्य अनुदान प्राप्त होने के बाद कार्य संचालन के लिए, कोडडा मेवरा, जिला
रायपुर स्थित होने की शर्तों पर प्रदान की जाती है।

सर्वोच्च शिक्षण आयोग के नाम से
तथा आदेशानुसार

उपस्थित

सर्वोच्च शिक्षण आयोग

उच्च शिक्षा, तत्संबंधी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षण,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना संख्या 73/119/30110/2002

रायपुर, दिनांक- 21/10/02

प्रतिलिपि:-

- 11] सर्वोच्च शिक्षण आयोग, कोडडा मेवरा, रायपुर।
- 12] निम्न सर्वोच्च शिक्षण आयोग, कोडडा मेवरा/रायपुर मेवरा, जिला, रायपुर।
- 13] निम्न सर्वोच्च शिक्षण आयोग, राज्य मेवरा, उद्योग विभाग, रायपुर।
- 14] उपस्थित प्रशासक, उच्च शिक्षा, रायपुर।
- 15] कलेक्टर, जिला-रायपुर।
- 16] प्रधान, शासकीय स्थापित महाविद्यालय, कोडडा मेवरा, जिला-रायपुर।
- 17] जिला अस्पताल अधिकारी, रायपुर।

की ओर सुपचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

23/10/02

Handwritten signature

PRINCIPAL,
Govt. Arts, & Comm. College
Kohka-Mevra, Raipur (C.O.)

उपस्थित

सर्वोच्च शिक्षण आयोग

उच्च शिक्षा, तत्संबंधी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षण,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र – दो

1. विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम क्रमांक : Regulation No. 90
3. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम का नाम : Endowment Fund (डॉ. शंकर दया शर्मा स्वर्ण पदक)
4. अनुशंसा के प्राधिकारी का नाम एवं अनुशंसा की तिथि धारा 52 (4) की स्थिति में कुलपति द्वारा अनुशंसा की तिथि : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.04.2005

वि.वि. अधिनियम/ अध्यादेश/ परिनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
Regulation No. 90	2. यह धर्मादा निधि के मूल्य से ब्याज के रूप में प्राप्त विशुद्ध आय का उपयोग प्रतिवर्ष स्वर्ण-पदक देने हेतु किया जायेगा। यह स्वर्ण-पदक छात्र/छात्रा को उसके "General Proficiency including character conduct, Excellence in Academic Performance, Extra Curricular activities and Social Service" के आधार पर निर्णय कर प्रदान किया जावेगा।	2. यह धर्मादा निधि के मूल्य से ब्याज के रूप में प्राप्त विशुद्ध आय का उपयोग प्रतिवर्ष स्वर्ण-पदक देने हेतु किया जायेगा। यह स्वर्ण-पदक छात्र/छात्रा को उसके "Outstanding academic/extra-curricular/Social activities" के आधार पर निर्णय कर प्रदान किया जावेगा।	संबंधित विषयों में उपयुक्त प्रत्याशियों की अनुपलब्धता के कारण संशोधन किया जाना अत्यावश्यक है।
		<p>In clause 7, 8 and 9 after serial No. 6 the following is to be inserted</p> <p>7. An expert committee constituted by the Vice-Chancellor and consisting of three members (1. VC's Nominee - An academican of repute from within or outside the University ; 2. Dean Faculty of Science of PRSU ; and 3. Dean of</p>	

		<p>any other Faculty) will screen the application from the prospective candidates and recommend a single name for the award to the Vice-Chancellor for declaration.</p> <p>8. In case of lapses and/or non-availability of candidates for the award in any year the award amount will be accruing to the endowment fund.</p> <p>9. The Administrative Section will make necessary official correspondence/work related to the Award.</p>	
--	--	--	--

दिनांक :

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर



Regulation No. - 153
(E.C. Under - -2014)

LATE. PT. MANRAKHAN LAL DUBEY MEMORIAL GOLD MEDAL

Donor	-	Dr. Vyas Narayan Dubey, B-2/5, Manas Kunj, Lokmanya Grih Nirman Samiti, Rohini Pooram, Raipur- 492010 Mob.No. - 98261-28327
Value of Endowment	-	Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only) B.No./R.No. Gbk-254 Dated- 22-Jan.-2014
Award	-	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called "**Late. Pt. Manrakhan Lal Dubey Memorial Gold Medal**" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures first position in merit list in '**M.A. (Final) Chhattisgarhi**' male student of University Examination of School of studies of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded the medal.
4. The award of Gold Medal shall be effective from examination 2013-2014.



Regulation No. - 154
(E.C. Under - -2014)

LATE. (Smt.) SHAKUNTALA DEVI DUBEY MEMORIAL GOLD MEDAL


Donor	-	Shri Ravi Dubey, Kalptaru, Professor Colony, Kuber Vihar, Sector-3, Gali No.-13, Raipur- 492010 Mob.No. - 9329107276
Value of Endowment	-	Rs. 50,000.00 (Rs. Fifty Thousand Only) B.No./R.No. Gbk-301 Dated- 03-Feb.-2014
Award	-	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called "Late. (Smt.) Shakuntala Devi Dubey Memorial Gold Medal" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures first position in merit list in 'M.A. (Final) Chhattisgarhi' female student of University Examination of School of studies of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, such an examinee who is younger or youngest in age, shall be awarded the medal.
4. The award of Gold Medal shall be effective from examination 2013-2014.

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (CHHATTISGARH)
RECOMNDED NO CHANGE OF SYLLABUS BY BoS
FOR THE SESSION OF 2014-15 IN RESPECT OF SESSION 2013-14

A

SR.NO.	BOARD	CLASS
1	BOARD OF STUDIES IN HINDI	MA PREV HINDI
		MA FINAL HINDI
2	BOARD OF STUDIES IN LINGUISTICS	M.PHIL HINDI
		MA SEMESTER I-IV LINGUISTICS
		MA PREV LINGUISTICS
		MA FINAL LINGUISTICS
3	BOARD OF STUDIES IN LIBRARY & INF. SC.	M.PHIL LINGUISTICS
		B.LIB
		M.LIB
4	BOARD OF STUDIES IN SOCIOLOGY	M.PHIL
		MA SEMESTER I-IV SOCIOLOGY
		MA SEMESTER I-IV SOCIAL WORK
5	BOARD OF STUDIES IN ECONOMICS	M.PHIL SOCIOLOGY
		MA SEMESTER I-IV ECONOMICS
		M.PHIL ECONOMICS
6	BOARD OF STUDIES IN PSYCHOLOGY	MA SEMESTER I-IV PSYCHOLOGY
		MA PREV PSYCHOLOGY
		MA FINAL PSYCHOLOGY
		M.PHIL PSYCHOLOGY
7	BOARD OF STUDIES IN A INDIAN HISTORY	M.PHIL A INDIAN HISTORY
8	BOARD OF STUDIES IN GEOGRAPHY	M.PHIL GEOGRAPHY
9	BOARD OF STUDIES IN STATISTICS	MA/MSC IN STATISTICS
		M.PHIL STATICS
10	BOARD OF STUDIES IN BOTANY	M.SC SEMESTER I-IV BOTANY
11	BOARD OF STUDIES IN BIO.SCIENCE	M.PHIL BIOSCIENCE
12	BOARD OF STUDIES IN BIOCHEMISTRY	M.SC BIOCHEMISTRY
13	BOARD OF STUDIES IN ANTHROPOLOGY	M.PHIL ANTHROPOLOGY
14	BOARD OF STUDIES IN BIOTECHNOLOGY	M.SC. BIOTECHNOLOGY
		M.PHIL BIOTECHNOLOGY



PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (CHHATTISGARH)
RECOMNDED CHANGE IN COURSE ORDINANCE
FOR THE SESSION OF 2014-15 IN RESPECT OF SESSION 2013-14

B

SR.NO.	BOARD	PARTICULAR
1	BOARD OF STUDIES IN BIO.SCIENCE	ENHANSHMENT OF DESSERTATION PERCENTAGE FROM 65% TO 75%
2	BOARD OF STUDIES IN BIOCHEMISTRY	ENHANSHMENT OF DESSERTATION PERCENTAGE FROM 65% TO 75%
3	BOARD OF STUDIES IN BIOTECHNOLOGY	ENHANSHMENT OF DESSERTATION PERCENTAGE FROM 65% TO 75%
4	BOARD OF STUDIES IN MICROBIO	ENHANSHMENT OF DESSERTATION PERCENTAGE FROM 65% TO 75%
5	BOARD OF STUDIES IN COMPUTER SCIENCE	WHOLE ORDINANCE OF BCA/PGDCA/MCA/MSC(IT)

नस्ती क्रमांक _____ पृष्ठ क्रमांक ② _____ शाखा का नाम _____

प्रभारी अधिकारी का नाम श्री _____

प्रभारी लिपिक का नाम _____

विषय क्रेडिट सिस्टम सम्बन्धित (सेमेस्टर)

प्रति दिनांक 5-2-14

दिनांक 22-01-14 को प्रो. ए.के.पति, प्रो. ए.के.गुप्ता, उपकुलसचिव(अका.) एवं डॉ. मनोज तिवारी (प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर) की उपस्थिति में उक्त एवं अन्य संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निम्नानुसार टीप दिया गया -

1. जिन कक्षाओं में जो क्रेडिट उल्लेखित है, उसी अनुसार कुल क्रेडिट लिया जाना है, चाहे वह निर्धारित क्रेडिट 80 से अधिक या कम हो।
2. रेगुलेशन के बिंदु क्रं. 04 में उल्लेखित grade point scale प्रत्येक प्रश्न-पत्र का है, अतः प्रत्येक प्रश्न-पत्र के अंक दसमलव में नहीं आते हैं।
3. Course का अर्थ Paper है। अतः तदनुसार SGPA निकाला जाना है। CGPA के संबंध में Credit point का अर्थ $\text{Credit point} = \text{credit of the Paper} * \text{grade point}$ एवं Credits का अर्थ Total credit है।
4. रेगुलेशन नं. 149 में आर्डिनेंस क्रं 170 के अंतर्गत वि.वि. अध्ययनशालाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में क्रेडिट बेस सिस्टम लागू किया जाना उल्लेखित है। इस रेगुलेशन के बिंदु क्रं 04 में उल्लेखित grade point scale को आर्डिनेंस क्रं 170 के अनुसार संशोधित किया जाना है।
5. वि.वि. अध्ययनशालाओं में एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.फार्मा, एम.पी.एड., एम. लिब. एवं एम.एस.सी.(आई.टी.) पाठ्यक्रम भी संचालित है जो कि क्रमशः आर्डिनेंस क्रं 88, 85, 159, 172, 74 एवं 150 से संचालित होते हैं, जिनमें उत्तीर्ण होने का मापदण्ड अलग-अलग है। इन पाठ्यक्रमों में भी क्रेडिट बेस सिस्टम लागू किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक आर्डिनेंस के अनुसार अलग-अलग grade point scale बनाये जाने की आवश्यकता है। कृपया ज्ञात हो कि आर्डिनेंस क्रं 88, 85, 159, 172, 74 एवं 150 से संचालित पाठ्यक्रमों का रेगुलेशन क्रं 149 में उल्लेख नहीं है।
6. ग्रेस से उत्तीर्ण छात्रों को दिये जाने वाले credit एवं grade point का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
7. परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु आर्डिनेंस क्रं 170 का पालन करते हुये क्रेडिट बेस सिस्टम लागू किया जाना है।

वि.वि. अध्ययनशालों में संचालित पाठ्यक्रमों में क्रेडिट बेस सिस्टम लागू किये जाने के संबंध में उक्त बिंदुओं में दिये गये प्रस्ताव के आधार पर रेगुलेशन क्रं 149 में आवश्यक संशोधन किया जाना है।

1383
6-2-14

819
19-2-14

720
13-2-14





क्रमांक 10454 / अका. / 2013

रायपुर, दिनांक : 13 / 05 / 2013

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.04.2013 के कार्यवृत्त (अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक 1 में Inclusion of Grade and Credit points (CGPA) in mark sheet of the students of PG courses running in the UTD under the Ordinance 170) कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.04.2013 के पूरक विषय सूची क्रमांक 1 में अनुमोदन हुआ है। रेगुलेशन नं. 149, अधिसूचना क्रमांक 10394/अका./2013 दिनांक 07.05.2013 में आदेशानुसार आंशिक संशोधन (*) हुआ है जो निम्नांकित है -

Regulation No. 149

(E.C. Under 23-04-2013)

[Inclusion of Grade and Credit points (CGPA) in mark sheet of the students of PG courses running in the UTD under the Ordinance 170]

1. The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing PG courses in the UTD under the provision of the Ordinance 170.
2. A student has to earn minimum number of prescribed credits in each Semester in their respective subject and a total of 80 credits for the entire course of study as specified in the syllabus.
3. A student shall be awarded Masters Degree who has obtained at last 4 Grade Point in a Course independently in theory and practical/ lab course and minimum of 4.0 Semester Grade Point Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all four semesters.
4. The student shall be declared successful and will be awarded CGPA/ Division through conversion of Percentage of Marks to Grade Point in 10 Point Scale in the following manner:

Percentage of Marks	Grade Point	Description
90 and above	10	First/ O
80-89	9	First/ A
70-79	8	First/ B
60-69	7	First/ C
* 48-59	6	Second/ D
* 36-47	5	Third/ E
* Below 36	4.0	Dropped/ F

5. Calculation of SGPA:

$$\sum \frac{(\text{Credit of the Course} \times \text{Grade Point})}{\text{Total Credits in the Semester}}$$


6. Calculation of CGPA:

$$\sum \frac{\text{Credit Point of all previous and current Semesters}}{\text{Credits of all previous and current Semesters}}$$

.....2

7. A student failing to appear or securing less than 4.0 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I, II, III or IV semesters and their scheme of examination shall be as follows:
- A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/ reexamination along with the following semester examination.
 - The provision of revaluation and re-totaling will not be available.
8. The matters not covered in this regulation shall be governed by the respective provisions of the University Act / Statute/ Ordinances / regulations.


आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ. क्रमांक 10455/अका./2013
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक : 13 /05/2013

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
03. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


प्रभारी अधिकारी (अका.)

13